संक्षिप्त

मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौपा

मदनगंज-किशनगढ़ (निस)। बसीटा धोबी समाज जागृति समिति ने प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपा। संयोजक कालूराम लील ऑटोली बताया की ज्ञापन में नगर परिषद द्वारा धोबी समाज को आवंटित छात्रावास भूमि की लीज राशि माफ करने की मांग की गई।तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में 99 वर्षों की लीज पर दो हजार वर्गगज भूमि आवंटित की गई थी, जिसकी राशि करीब 30 लाख रुपए तय की गई। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद आज तक लीज माफी या पुनर्विचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला स्तर पर धोबी समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भूमि आवंटित करने की भी मांग की गई। राज्य सरकार से रजक कल्याण बोर्ड के गठन के बाद अब तक लंबित पत्रावलियो का निस्तारण करने की मांग दोहराई गई। जानकारी दी गई की बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन धरातल पर कोई लाभ समाज को नहीं मिला। धोबी समाज ने मुख्यमंत्री से मांग पत्र को लेकर शीघ्र जायज समाज हितार्थ समस्याओ का समाधान कराने की अपील की है।

मैराथन दौड़ का निर्णय

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। माली समाज की बैठक में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर 3 जनवरी को मैराथन दौड कराने का निर्णय लिया है। मैराथन सुबह 7 बजे पुरानी मिल चौराहे से होते हुए डाक बंगला में समापन होंगी। दौड में सभी समाज के छात्र-छात्र व महिला-पुरुष भाग ले सकेंगे। बैठक में फूलमालियान शिक्षण संस्था अध्यक्ष कैलाश भाटी, महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण एवं विकास संस्था अध्यक्ष नन्दलाल सैनी, सैनी विकास समिति अध्यक्ष दिनेश सैनी, माली समाज सावंतसर अध्यक्ष सुखदेव कुंवाल, सुनील इंदौरा, मोहनलाल भाटी, एडवोकेट सुखराम जादम, उगमाराम भाटी, सुमित सैनी, पत्रकार बिरदीचन्द मालाकार, इंद्रजीत उबाणा, कानाराम भाटी सहित कई समाज बंधु मौजूद थे।

वार्डों के प्रारूप प्रकाशित

अजमेर, (कास)। जिले की पंचायत राज संस्थाओं जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्डों का पुर्नगठन, पुर्नसीमांकन एवं पुर्ननिर्धारण कर प्रारूप 30 दिसम्बर को प्रकाशित किए गए है। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि प्रारूप कार्यालयों की नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए है। इस सम्बन्ध में जन साधारण से आगामी 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई है। आपत्तियां जिला परिषद वार्डों के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार कार्यालय में तथा पंचायत समिति वार्डों के सम्बन्ध में जिला कलक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

सरवाड़ । सरवाड़ पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा समस्त थानाधिकारी को अवैध खनन निर्गमन व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया वहीं पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन एवं सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा सरवाड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन में प्रयुक्त बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी के सांगानेर से डिटेन कर सरवाड़ थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। उक्त कार्रवाई की खनिज अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग को इसकी सूचना दी गई है। अवैध बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो बिना नंबर का पाया गया। इस दौरान पुलिस टीम में सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा रामधन हरिराम कमलेश सत्यवीर शामिल रहें।

पैदल यात्रा आज

सरवाड़,31 दिसम्बर (निसं)। सरवाड़ शहर स्थित मथुराधीश मंदिर से डिग्गी कल्याण की 31वीं भव्य पैदल यात्रा आज रवाना होगी वहीं यह पैदल यात्रा प्रात: 7:30 बजे सरवाड़ से प्रारंभ होगी जो मुख्य मार्ग से होते हुए भगवान डिग्गी कल्याण मंदिर शनिवार को मंदिर परिसर पहुंचेगी ।

अजमेर एक से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा गतिविधियां होगी

■ जनवरी माह को शून्य मृत्यु माह के रूप में मनाया जाएगा। जिला स्तर पर हितधारक विभागों के समन्वय स्थापित कर गतिविधियां आयोजित की जाएगी। गुरूवार एक जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ होगा। इस दिन सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन (पूरे माह के लिए), एजुकेशन ड्राइव, जिले की ग्राम पंचायतों, म्यूनिसीपल वार्ड, सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम (ओडियो-वीडियो प्रस्तुतीकरण) आयोजित करने के लिए सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी देकर रवाना करना

अजमेर, 31 दिसम्बर(कास)। जिले में एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह के दौरान आगामी 31 जनवरी तक इस वर्ष की थीम सीख से सुरक्षा, टेकनॉलोजी से परिवर्तन के आधार पर आयोजन होंगे। जनवरी माह को शून्य मृत्यु माह के रूप में मनाया जाएगा। जिला स्तर पर हितधारक विभागों के समन्वय स्थापित कर गतिविधियां आयोजित की जाएगी। गुरूवार एक जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ होगा। इस दिन सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन (पूरे माह के लिए), एजुकेशन ड्राइव, जिले की ग्राम पंचायतों, म्यूनिसीपल वार्ड, सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सडक सुरक्षा कार्यक्रम (ओडियो-वीडियो प्रस्तुतीकरण) आयोजित करने के लिए सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी देकर रवाना करना (प्रतिदिन पूरे माह), सड़क सुरक्षा प्रवर्तन ड्राइव (प्रतिदिन पूरे माह), सडक इन्जीनियरिंग ड्राइव (प्रतिदिन पूरे माह), हैल्थ ड्राइव, राज्य सरकार एवं भारत सरकार की राहवीर और गुडसेमेरिटन, मुफ्त इलाज योजना, हिट एण्ड रन योजना का प्रचार प्रसार एवं फर्स्ट रेहपोण्डर एवं बीएलएन ट्रेनिंग (प्रतिदिन पूरे माह), रिफ्लेक्टिव टेप अभियान के तहत ठााम पंचायतों एवं खनन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गैर-मोटर चालित एवं मोटर चालित वाहनों (ट्रेक्टर-ट्राली, मोटर साईकिल, डम्पर आदि खनन कार्य में प्रयुक्त वाहन) एवं पशुओं के सिंगों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना (पूरे माह में न्यूनतम 3 हजार वाहनों एवं पशुओं का लक्ष्य) (प्रतिदिन पूरे माह) तथा सड़क दुर्घटनाओं के डेटा संग्रहण, विश्लेषण एव वास्तविक कारणों का मीडिया में प्रकाशन के लिए प्रेसवार्ता एवं मीडिया संवेदीकरण बैठक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए जिला बाल वाहिनी समिति की बैठक का आयोजन, रोड़ सेफ्टी क्लबों को सक्रिय करना तथा सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं की जानकारी तथा बालवाहिनी बस, वेन चालकों एवं सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शनिवार 3 जनवरी 2026 को जिले के सभी सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों के नामित एक-एक नॉडल शिक्षक को सडक सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला (दो पारियों में प्रात: 10 से एक बजे तक एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक) के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। रविवार 4 जनवरी 2026 को सड़क सुरक्षा साईकिल रैली आयोजित होगी। सोमवार 5 जनवरी 2026 को शहर के प्रमुख पाकों में वरिष्ठ नागरिकों एवं आगन्तुकों के साथ सडक सुरक्षा पर चर्चा एवं सड़क सुरक्षा पेम्पलेट और ब्रोशर आदि का वितरण किया जाएगा। 6 जनवरी को मोटर साईकिल हेलमेट रैली (सड़क सुरक्षा संदेश की तख्तियों के साथ) तथा 7 जनवरी को विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता आयोजितहोगी। इसी तरह 31 जनवरी तक विभिन्न गतिविधियां निर्धारित की गई है।

परीक्षा 8 से

अजमेर। 31 दिसंबर(कास)। सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश एवं फिजिक्स विषय की मॉडल उतरकुंजियाँ आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं।

इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त विषयों की परीक्षा का आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2025 तक किया गया था।

यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियाँ पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 से 5 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना में अब आवेदन 14 जनवरी तक

अजमेर , (कास)। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की बहुप्रतीक्षित योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, माखुपुरा, अजमेर में आमजन के रुझान एवं मांग के दृष्टिगत आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 14 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गयी है। लॉटरी की सम्भावित 29 जनवरी नियत की गई है।

ज्ञातव्य है कि अजमेर नसीराबाद रोड पर राजस्व ठााम माखुपुरा में स्थित इस योजना में 202 भूखण्डों जिसमें से ईडब्लूएस श्रेणी के 132 भूखण्ड एवं एलआईजी श्रेणी के 70 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा पहली बार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग जिनकी वार्षिक आय रुपये 3.00 लाख तक हो तथा निम्न आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक परन्तु 6.00 लाख तक है के लिए कोई योजना लान्च की गई है। याजना में

ईडब्लूएसश्रेणी के आवेदकों को 45 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड आरक्षित दर रुपये 14700 से 50 प्रतिशत अर्थात 7350 प्रति वर्ग मीटर अर्थात भूखण्ड की औसत किमत 330750/- तथा एलआईजी श्रेणी के आवेदकों को 45 वर्ग मीटर से अधिक परन्तु 75 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड आरक्षित दर के 80 प्रतिशत अर्थात रुपये 11760 प्रति वग मीटर की दर अर्थात भूखण्ड की औसत किमत 882000 से आवंटित किये जायेंगे। भूखण्डों की ऑनलाईन लॉटरी सार्वजनिक रुप से एन.आई.सी. द्वारा निकाली जायेगी।

रेरा रजिस्ट्रर्ड इस योजना में राज्य सरकार के नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कार्मिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिव्यांगजन, निराश्रित भूमिहोन एकल महिला एवं ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

ओबीसी राजनीतिक आरक्षण निर्धारण पर ओबीसी आयोग का जनसंवाद कार्यक्रम

■ पिछड़े वर्गों का सामाजिक विकास आवश्यक, वंचितों को मिले समुचित प्रतिनिधित्व : मदन लाल भाटी, अध्यक्ष ओबीसी आयोग

ब्यावर (निसं) राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय में जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के मदन लाल भाटी, अध्यक्ष एवं गोपाल कृष्ण शर्मा, सदस्य ने आमजन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव सुने। परिचर्चा के दौरान ओबीसी वर्ग के भीतर वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण, पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ तथा वर्तमान 21 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। वक्ताओं ने सामाजिक न्याय एवं समान प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र की आधारशिला बताया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्म लाल जाट, जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी गोपाल लाल, नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने कहा कि समाज में मुख्यत: दो वर्ग हैं- लाभान्वित और वंचित। आयोग का उद्देश्य वंचित वर्ग को उसका अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि आयोग तर्कसंगत, न्यायसंगत और व्यावहारिक आरक्षण व्यवस्था के लिए सभी सुझावों का गहन अध्ययन करेगा। आयोग राजस्थान प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के समठा उत्थान एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोग का प्रयास रहेगा कि वह पूर्ण पारदर्शिता के साथ अन्य पिछडा वर्ग समाज के हर वर्ग का विश्लेषण कर शीघ्र ही आरक्षण का नवीन प्रावधान तय करेगा। वर्तमान परिदृश्य में पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक, विकास के लिए उन रक्षोपायों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक हैं। आयोग पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का नवीन फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नवीन आरक्षण लागू कर चुनाव करवाया जाएगा।कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों ने आयोग के समक्ष अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने कहा कि न्यायसंगत और तर्कसंगत आरक्षण व्यवस्था से ही सामाजिक संतुलन एवं वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।

विधायक शंकर सिंह रावत ने रावत समाज की सामाजिक व प्रशासनिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राजस्थान में पांच जिलों को छोडकर रावत समाज को एसटी वर्ग में शामिल किया गया है, जबकि शेष जिलों में ओबीसी वर्ग में रखा गया है। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को अनुचित प्रलोभनों के माध्यम से अन्य धर्मों की ओर भी ले जाया जा रहा है। उन्होंने पत्थर उद्योग में कार्यरत लोगों के सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने का उल्लेख करते हुए समाज को शैक्षिणक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरक्षण देने की आवश्यकता बताई।

प्रधान बिरम सिंह भीम ने रावत समाज के प्रमाण पत्रों में मुस्लिम उल्लेख न करने की मांग की। प्रधान कमला चौहान ने कहा कि आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाना चाहिए। कीर समाज के प्रतिनिधि हनुमान कीर ने अपने समाज को एससी-एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग रखी।समाजसेवी फनीश ने चुनावों में धन-बल एवं बाहुबल पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई।

कलाल समाज से श्री अशोक कुमार मेवाड़ा ने समाज के सर्वांगीण उत्थान पर जोर दिया। गाडी लोहार समाज के प्रतिनिधियों ने स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या रखी। जवाजा प्रधान गणपत सिंह चौहान ने रावत समाज को आरक्षण की अत्यंत आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने हेतु अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखे। आयोग सदस्यों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें अभिलेख में दर्ज कर यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

कलाकारों ने सूचना केंद्र खुले रंगमंच को कांच की तरह चमकाया

■ स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी मेरा अधिकार अभियान को दिया सशक्त संदेश

अजमेर । स्वच्छ भारत अभियान की भावना को साकार करते हुए अजमेर कलाकार संघ द्वारा स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी, मेरा अधिकार अभियान के अंतर्गत बुधवार को नववर्ष की पूर्व संध्या पर सूचना केंद्र के खुले रंगमंच परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया।

इसमें कलाकारों ने श्रमदान कर पूरे रंगमंच को कांच की तरह चमकाकर स्वच्छता के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर अजमेर कलाकार संघ से जुडे कलाकारों ने खुले रंगमंच के मंच स्थल, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, दोनों ओर की गैलरियों एवं रंगमंच के बाहर स्थित पूरे चौक की गहन सफाई कर परिसर को पूर्णत: स्वच्छ एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया।

स्वच्छ भारत ब्रांड एंबेसडर एवं वरिष्ठ लोक कलाकार श्री गोपाल बंजारा ने बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान को अजमेर कलाकार संघ की पूरी टीम निरंतर आगे बढ़ा रही है तथा स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों, गांवों, ढाणियों, मेलों एवं विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों में नुक्कड़ नाटक, गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसी निरंतर प्रयास की श्रृंखला में आज सूचना केंद्र के खुले रंगमंच की सफाई कर कलाकारों ने यह संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी और अधिकार है।

इस सफाई अभियान में अजमेर कलाकार संघ के कलाकार महेश वैष्णव, कृष्ण गोपाल पाराशर, सुशीला , जगदीश, कोमल, नानू, अरुण सहित अन्य कलाकारों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए श्रमदान किया और पूरे परिसर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप सिंह, सहायक निदेशक संतोष प्रजापति, जनसंपर्क अधिकारी मयंक राज गुर्जर सहित कार्यालय कर्मियों ने कलाकारों के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया तथा स्वच्छता अभियान में निरंतर योगदान देने के लिए कलाकारों का आभार व्यक्त किया।

अधिकारियों की बैठक हुई

रूपनगढ़ (निसं)। रूपनगढ़ में बुधवार को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा गठित उपखंड स्तरीय वार टीम के अधिकारियों की एक अहम बैठक एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में रूपनगढ़ तहसीलदार , किशनगढ़ सीओ (ठाामीण), जिला परिवहन अधिकारी, वन विभाग और खनिज विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए।

शौकीन काठात आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष

ब्यावर (निसं) आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा राजस्थान के जिलाध्यक्षों व अन्य विंगो के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई। जिसके तहत ब्यावर जिलाध्यक्ष एवं अन्य विंगों के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई।इस मौके पर जयपुर से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पूर्व लोकपाल व तेज तर्रार अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी के मुख्य आतिथ्य में सभी जिलाध्यक्षों का बुरड मार्केट में स्वागत, अभिनन्दन कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पूनमचंद भंडारी ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता बिना डरे सच्चाई के साथ आगे बढ़े दुनिया की कोई ताकत आम आदमी पार्टी को बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इस मौके पर नीलेश बुरड़ व राधावल्लभ माहेश्वरी ने भी सम्बोधित किया।

ब्यावर जिलाध्यक्ष के रूप में शौकीन काठात का पूनमचंद भंडारी व वरिष्ठ कार्यकर्ता राधावल्लभ माहेश्वरी व नीलेश बुरड़ ने माल्यार्पण का स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शौकिन काठात ने पूरी ऊर्जा के साथ संगठन में सबको साथ लेकर चलने का आव्हान किया। इसके साथ ही ट्रेड विंग जिलाध्यक्ष शंकर प्रजापति, एससी विंग जिलाध्यक्ष नारायण अग्रवाल, यूथ विंग जिलाध्यक्ष चंगेज खान, ओबीसी विंग जिलाध्यक्ष बाबूलाल सैन, लीगल विंग जिलाध्यक्ष एडवोकेट राजेश बंसल, माइनोरिटी विंग जिलाध्यक्ष मुल्तान खान का नियुक्तियां दी गई। जिन सभी का मुख्य अतिथि ने माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनन्दन किया गया इस मौके पर सभी ने आगामी नगर परिषद चुनाव हेतु कमर कसने का आव्हान किया व तीसरे मोर्चे की ताल ठोकी। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर बधाई दी व जल्द ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का भी आव्हान किया।इस मौके पर राधावल्लभ माहेश्वरी, शंकर प्रजापति, मुल्तान काठात, विक्रम काठात, फारूख काठात, मुकेश चैहान, रितिक जावा, राजूं सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।

NAME CHANGE

I, SABATRI MONDAL is real MOther of No-15786467L, HAV MILON KUMAR MONDAL,501 AD MSL REGT (MRSAM) C/O 56 APO. Vill-Fewgram,Teh-Bolpur,Distt-Birbhum,(W.B)731302.have changed my name from SABATRI MONDAL to SABITRI and D.O.B- 01 JAN 1970 in my son's army service records.aff-CA 924688.date-31 DEC 2025.Before Notary AD Mohammad Javed Nasirabad

NAME CHANGE

I,RAJPUT MEERA BEN is real MOther of No-15800029W NK(DS) RAJPUT BHAGAT SINH BABU SINH, 501 AD MSL REGT (MRSAM) C/O 56 APO.have changed my name from RAJPUT MEERA BEN to MEERA DEVI and D.O.B- 01 JAN 1957 to 010 JAN 1963 in my son's army service records.aff-CA 331576.date-27 DEC 2025.Before Notary AD Mohammad Javed Nasirabad

NAME CHANGE

I Adam Ali Tarafder Father of Army No. 14845658K, HAV, Sukur Ali Tarafder Residing of Vill:-Harishpur, Po:- Belta, Tehsil:-Bongaon, District- North 24 Parganas, West Bengal, Pin-743701 have change my name from Adam Ali Tarafder to Adam Ali Tarafdar vide affidavit No. CA836146 dated 31/12/2025 before court campus Nasirabad

आम सूचना

मेरा भाई बाबू खां (अविवाहित) वल्द स्व. उस्मान अली का इंतकाल दिनांक 10 नवम्बर 2010 को एवं मेरा भाई अनवर खां (अविवाहित) वल्द उस्मान अली सर्वजाति मुसलमान का इंतकाल दिनांक 8 जुलाई 2020 को मेरे निवास स्थान मालियों की ढाणी गांधीनगर, मदनगंज- किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर पर हो गया है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थी-छोटू बाबा उर्फ़ छोटू खां वल्द उस्मान अली

आम सूचना

मेरे पति जगदीश मीणा पुत्र रुड़ा मीणा निवासी फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 20 मार्च 1977 को निवास स्थान पर हो गई, इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिवस में आपत्ति तहसीलदार के पास दर्ज कराये, बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होंगी।

- प्रार्थी-लादी मीणा पत्नी स्व. जगदीश मीणा फरासिया

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ/69क/2025-26/216 आपत्ति सूचना दिनांक-31.12.25

1.श्री बालमुकुन्द अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण अग्रवाल 2.श्रीमती धनकंवर पत्नि श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल 3.श्री शंशाक अग्रवाल पुत्र श्री सतीश अग्रवाल निवासी-मसूदा हाउस के पीछे लोहागल रोड,अजमेर प्रस्तावित स्थल मसूदा हाउस के पीछे लोहागल रोड अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 662.38 वर्गमीटर का है का नगर निगम अजमेर में धारा 69-ए के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं।

पूर्व- इकबाल हुसैन की सम्पति उतर - उर्मिला की सम्पति
पश्चिम- 16 फीट चौड़ी रोड दक्षिण - घीसूलाल जी माथुर

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति हो तो इस सूचना के 03 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी भी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप/आपत्ति नहीं है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

- प्रभारी अधिकारी (69-क), नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ/भवन/25-26/600 आपत्ति सूचना दिनांक-30.12.25

श्री सैयद फुरकान मोईन उस्मानी पुत्र श्री हाजी सैयद मोहम्मद हुसैन उस्मानी, सैयदा शाईस्ता उस्मानी पत्नि श्री सैयद फुरकान मोईन उस्मानी निवासीगण 399/14 फूल गली दरगाह शरीफ अजमेर एवं श्री सैयद इमरान पुत्र श्री सैयद नजीर अली श्री अदनान अली पुत्र श्री सैयद नजीरअली श्री सैयद नजीर अली पुत्र श्री सैयद बशीर अली निवासीगण पन्नीग्राम चौक अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 7/439 14/435 पुरान 39/533 नया उत्तरी दिशा वाला भाग जो वाकै गोधा गवाड़ी नला बाजार अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 101.23 व.मी. है।भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व- गली आम रास्ता उत्तर - रास्ता व खुला चौक
पश्चिम- जायदाद ए.एम.सी. नं. 14/436 दक्षिण - रास्ता व खुला चौक

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

-उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर आवासीय योजना ग्राम माकड़वाली रोड, तहसील व जिला अजमेर के आवासीय भूखण्ड संख्या सी-163 जिसका क्षेत्रफल 252.00 वर्गमीटर 2712.91 वर्गफुट के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती सुशीला देवी गंगवानी पत्नि श्री भोजराजमल गंगवानी, जाति सिंधी, निवासी पुष्पक कुंज, मकान संख्या 3 जी 26 बधिर विद्यालय के पीछे, वैशाली नगर,अजमेर की मृत्यु दिनांक 25.04.2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्री हरीश गंगवानी, आयु 39 वर्ष, 2. श्री हेमन्त गंगवानी, आयु 35 वर्ष, पुत्रगण श्री भोजराज मल गंगवानी,जाति सिंधी, निवासीगण पुष्पक कुंज,मकान संख्या 3 जी 26 बधिर विद्यालय के पीछे, वैशाली नगर,अजमेर 3. श्रीमती दृष्टि चावलानी पत्नी श्री नितिन कुमार चावलानी, आयु 37 वर्ष जाति सिंधी निवासी 1502, 1233/4ए, केशव कुटी रोड हिन्दू मिलन मंदिर के सामने, राईट टाऊन जबलपुर,मध्यप्रदेश द्वारा अपने सह हिस्सेदार श्री भोजराज गंगवानी पुत्र श्री धीरूमल, आयु 69 वर्ष जाति सिंधी, निवासी पुष्पक कुंज, मकान संख्या 3 जी 26 बधिर विद्यालय के पीछे, वैशाली नगर,अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.05.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवंटन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी

-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अरांई क्रय विक्रय सहकारी समिति, अरांई पं.स. अरांई, जिला-अजमेर, राज.

क्रमांक: 07 आम सूचना दिनांक-31.12.25

क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, अरांई जिला अजमेर द्वारा लगभग 250 एमटी गोदाम निर्माण हेतु निर्माण सामग्री हेतु कोटेशन आमंत्रित की जा रही है।कार्य की शर्तें एवं अन्य समस्त जानकारी समिति कार्यालय, अरांई से 3 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

- मुख्य व्यवस्थापक ,अरांई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड अरांई,अजमेर

कार्यालय नगर पालिका जैतारण, जिला-ब्यावर (राज.)

क्रमांक :-न.पा.जै./25-26/4765 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक :- 18.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पालिका को 69ए के तहत् लीज होल्ड से फ्री होल्ड के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने के लिए पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र. स.	आवेदनकर्त्ता का नाम	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	भूखण्ड माप	प्रयोजनार्थ
1	श्री बुधमल, श्री कमल किशोर पुत्र श्री गुदडमल लूणावत जाति महान निवासी निम्बोल तह.जैतारण	रास्ता	चैनराज की मकान	रामस्वरूप जी रामेश्वरलाल छीपा का मकान व रामनारायण जी छीपा मकान	रास्ता	1478.75 वर्गफुट 164.30 वर्गगज	आवासीय
2	श्री मोहम्मद रमजान पुत्र श्री ईस्माईल जाति मुसलमान सिपाहियो का बडा बास जैतारण	रूस्तम हाजी का प्लॉट	आम रास्ता	हमीद खरादी का प्लॉट	आम रास्ता चौ.	272.34 वर्गफुट	आवासीय
3	श्री राजेशचंद पुत्र श्री भागचंद, ब्रहापुरी मोहल्ला जैतारण	रास्ता कैलाश जी व्यास का मकान	बबूलाल जी वैष्णव का मकान	बाबूलाल जी वैष्णव का मकान	संजय जी पण्डित का मकान	1330.0 वर्गफुट	आवासीय
4	श्री बाबुलाल पुत्र श्री गेपरराम, पंचायत समिति के पास जैतारण	श्री रिखबचंद जी बोहरा की दुकान	जैन पौषाशाला की दुकाने	जैन स्थानकवासी की सम्पति	बाजार की सडक	195 वर्गफुट	व्यवसायिक
5	श्री बुद्धाराम पुत्र स्व. श्री जीवराज जाति मोची, मोची मोहल्ला जैतारण	हेमराज का मकान	आम रास्ता	केंवलजी की दुकान	महेश कुमार की दुकान	71.25 वर्गफुट	व्यवसायिक
6	श्री बुद्धाराम पुत्र स्व. श्री जीवराज जाति मोची, मोची मोहल्ला जैतारण	आम रास्ता	निहालजी का मकान	चतुर्भुजजी का मकान	जगदीश का मकान	630.00 वर्गफुट	आवासीय
7	श्री रामलाल पुत्र श्री ढगलाराम , लखोटिया का चौक जैतारण	गैन्दाराम	कानाराम	रास्ता	भीकाराम जी घांची का प्लोट	940.3 वर्गफुट	आवासीय
8	श्री राधाकृष्ण, श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री रामदेव जाति घांची, घांची समाज के सामने जैतारण	आनन्दीलाल पुत्र रामदेव व रामप्रसाद पुत्र रामदेव का पडवा	आम रास्ता	सोहनलाल पुत्र चोलाराम सीरवी का बाडा	रामकरण पुत्र छैलाराम का बाडा	1468. 125 वर्गफुट	आवासीय

अत: एतदद्वारा सभी सम्बन्धितों को सूचित किया जाता हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों के प्रमाण उक्त प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सहायक दस्तावेजों के साथ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी आपत्ति के अभाव में यह माना जा सकता हैं कि किसी को आपत्ति नहीं हैं। बाद अवधि नियमानसुार कार्यवाही अमल में ली जाएगी। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18.12.2025 जारी की गई हैं।

राज.संवाद/सी/25/16514 अधिशाषी अधिकारी